न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस. प्रशिक्षु)

मुकदमा नम्बर :– 125/2012 (पुराना मु0 न095/90,136/99, 58/2008)

उनवान

1. जगदीश पुत्र गोपी जाति मीना निवासी ग्राम खिलचीपुर, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. फूलजी पुत्र गोपी जाति मीना निवासी ग्राम खिलचीपुर, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. श्रीनिवास पुत्र जग्गा जाति मीना निवासी ग्राम खिलचीपुर, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
4. फूलचन्द पुत्र जग्गा जाति मीना निवासी ग्राम खिलचीपुर, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

... वादीगण

बनाम

1. अर्जुन पुत्र प्रहलाद
2. लडडू पुत्र काना मृतक
2/1 रामनाथी बैवा लडडू लाल
2/2 रामकिशन पुत्र लडडू लाल
2/3 हरिमोहन पुत्र लडडू लाल
2/4 छोटया पुत्र लडडू लाल

समस्त जाति जाट निवासीयान फूसोदा तह0 सवाई माधोपुर

2/5 मांगी देवी पुत्री लडडू लाल पत्नी राधेश्याम निवासी कुश्तला जाटान
2/6 गुडडी पुत्री लडडू लाल पत्नी गिर्राज निवासी कम्मोखरी
3. रामकिशन पुत्र लडडू जाति जाट
4. मोती पुत्र काना
5. रामफूल पुत्र काना
6. प्रकाश पुत्र काना
7. सियाराम पुत्र काना
8. जगराम पुत्र प्रहलाद
9. घनश्याम पुत्र प्रहलाद

समस्त जाति जाट निवासीयान फूसोदा तह0स0मा0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्ताकरार हक व हुकम इम्तनाई दवामी

अभिभाषक :–

1. श्री चिरंजी लाल सैनी वकील वादीगण।
3. श्री सत्येन्द्र गोयल वकील प्रतिवादीगण।

Varsha

निर्णय

दिनांकः–18.03.2020

प्रस्तुत वाद पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर की अपील संख्या 106/2004 उनवान अर्जुन बनाम जगदीश में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2007 की पालना अपील अपीललान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये निर्णय व डिक्री उप जिला कलक्टर,सवाई माधोपुर दिनांक 24.3.2004 प्र.सं. 95/90,136/99 निरस्त करते हुये प्रकरण उप जिला कलेक्टर,सवाई माधोपुर को इन निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाने पर प्राप्त हुआ है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये दावे व जवाब दावे के अधार पर तनकीवार विवेचन करते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। एवं उभय पक्षों को सुनवाई/अपना पक्ष रखने हेतु उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष दिनांक 12.02.2008 को उपस्थित होने बाबत निर्देश दिये। जिस पर उक्त वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर विधिवत सुनवाई की गई :– वादीगण की ओर से यह वाद पत्र दिनांक 23.7.90 को प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फूसौदा में स्थित है, जो कि ग्राम खिलचीपुर के तन से मिला हुआ है, इस वजह से इस जमीन पर वादीगण काबिज है व काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण 1,2 व अन्य का इस भूमि से कोई सरोकार नही है, न ही इस जमीन पर मालिकाना कब्जा व काश्त कभी रहा है। वादीगण को उपरोक्त भूमि पर लगभग 42 वर्ष पूर्व से वैधानिक कब्जा प्राप्त हुआ है व लगातार इस भूमि को वादीगण के बाबा तथा पिता के समय से उपयोग करते चले आ रहे है । प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध इस जमीन से होता तो कानूनन रिकार्ड आफ राईटस नामान्तरकरण इनके नाम से दर्ज किया जाता। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में चकबन्दी विभाग द्वारा अंतिम रूप से दिनांक 18.06.90 को प्रतिवादीगण के उज्र को समाप्त कर दिया गया तथा उनका कोई वैधानिक अधिकार नही माना है। वादीगण का उक्त भूमि पर वैधानिक कब्जा है व काश्त करते चले आ रहे है। अनुसूचित जाति के सदस्य होने की वजह से राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक लगान माफ किया गया है। प्रतिवादीगण का कोई कब्जा होता तो सरकार को मालगुजारी अदा करते व रसीद प्राप्त करते बिनाय दावा दिनांक 18.06.1989 तथा उसके पश्चात पैदा हुई। जब सैटलमेन्ट ऑफिस ने प्रतिवादीगण के क्लेम को अस्वीकार कर दिया तो उक्त जमीन पर प्रतिवादीगण ने झगडा करना शुरू कर दिया ,जिसकी कार्यवाही पुलिस द्वारा भी की गई। अतः वादीगण का दावा खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) उद्घोषणा इस अमर की जावे कि उपरोक्त भूमि खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के मालिकाना अधिकार की है तथा अपने हक में रखने का वादीगण को हर तरह का अधिकार प्राप्त है।

(ख) प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फूसौदा पर वादीगण के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत न करें और न ही किसी अन्य से करावें।

(ग) अन्य दादरसी,जो मुफीद करीने इंसाफ हो, दिलवाई जावे।

वदीगण का वाद– पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1,3,4,5,7,9 की ओर से दिनांक 5.9.90 को श्री हरिवल्लभ शर्मा एडवोकेट ने अपना अभिभाषण –पत्र पेश किया तथा प्रतिवादीगण सं0 2,6,8 की ओर से भी दिनांक 24.10.90 श्री हरिवल्लभ शर्मा एडवोकेट ने अपना अभिभाषण–पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 17.10. 90 को जवाब दावा मय काउण्टर–क्लेम पेश किया गया, जिसमें अंकित किया है कि वाद्--पत्र का मद नं0 1,2,3,4,5,6,7 स्वीकार नहीं है तथा वाद्–पत्र के मद् नं0 9,10 व 13 स्वीकार नहीं है वाद–पत्र का मद् नं0 11 स्वीकार है, साथ ही विशेष विवरण में अंकित किया है कि विवादित भूमि खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फूसोदा का साविक खसरा नं0 1147 था, जो हमारे पूर्वज रामचन्द वल्द गंगाराम निस्फ पीरया,मांग्या पि0 हरबक्श जाति जाट साकिन पूसोदा के नाम मिस्फ हिस्सा दर्ज था बरूए बन्दोबस्त दस साला रामचन्द वल्द गंगाराम तथा पीरया मांग्या पि0 हरबक्श जाटान साकिन फूसोदा की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त के ग्राम फूसोदा में बीस किता आराजियात रकबा 35 बीघा 3 बिस्वा थी। हमारे पूर्वज उक्त शजरे के अनुसार मोहन लाल एवं गोपाल जाटान सगे भाई थे कि जिनमें से मोहन लाल की सन्तान में से बन्दोबस्त दस साला में रिकार्डेड खातेदारान पीरया,मांग्या पि0 हरबख्श तथा रामचन्द पुत्र गंगाराम थे। इनमें से पीरया ने सुक्खा को गोद ले लिया था जो पीरया मांग्या दोनो भईयों की जायदाद का मालिक बना तथा रामचन्द ने सोन्या,राधाकिशन को गोद ले लिया था, लेकिन राधाकिशन रामचन्द्र के जीवनकाल में ही फोत हो गया, इसलिए उसका लडका सोन्या रामचन्द की जमीन जायदाद का मालिक बना और सोन्या के रामचन्द्र की पगडी बंधी और सोन्या के मरने के बाद सोन्या के लडके रामचन्द की सम्पत्ति पर काबिज तर्का हुए और सुक्खा के मरने के बाद उसकी पगडी लड्डू प्रतिवादी के बन्धी। आपसी भाई बटवारे में आराजी ख0नं0 1163 का आधा हिस्सा प्रहलाद के हिस्से में आया और प्रहलाद के मरने के बाद इस आराजी को प्रतिवादी अर्जुन लड्डू बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है। वादीगण का यह कहना कि परीया,मांग्या पि0 हरबक्श तथा रामचन्द्र पुत्र गंगाराम निसन्तान होने से लावारिस फोत हो गये बिल्कुल गलत है क्योंकि यदि ऐसी स्थिति होती तो सरकार द्वारा लावारिसी की कार्यवाही की जाती । विवादित आराजी ख0नं0 1163 प्रतिवादी अर्जुन लड्डू के कब्जे काश्त में पूर्वजो के जमाने से चली आ रही है और बन्दोबस्त दस साला में इनके पूर्वजो के ही नाम दर्ज हुई है लेकिन बन्दोबस्त बीस साला में यह आराजी वादीगण के पूर्वज सालग्या वल्द ग्यारसा मीना के नाम कतई गलत दर्ज हो गई लेकिन यह जब तक जीवित रहा उसने कभी हमारे पूर्वजो के कब्जे काश्त में किसी तरह की कोई मजाहमत नही की और उसके मरने के बाद उसके दोनो पुत्र जग्या व गोपी ने भी हमारे पूर्वजो के कब्जे काश्त में कभी कोई बाधा नही डाली और

इनके मरने के बाद कई साल तक वादीगण ने भी अर्जुन लड्डू के कब्जे काश्त में कभी कोई बाधा नही डाली और अर्जुन लड्डू ही निर्बाध रूप से उक्त आराजी काश्त करते रहे। गत वर्ष से तहसील सवाई माधोपुर में बन्दोबस्त चल रहा है इसलिये इस गरज से कि महकमे बन्दोबस्त में इस आराजी की निस्बत जो गलत खातेदारी इन्द्राज हो रहा है उसे दुरूस्त करा लिया जावें। अर्जुन लड्डू ने एक प्रार्थना–पत्र महकमा बन्दोबस्त में पेश कर दिया लेकिन सहायक सेटलमेन्ट आफिसर के बाद तकमील मुकदमा यह कहते हुए कि महकमः बन्दोबस्त को खातेदारों की घोषणा करने का अधिकार नहीं है, दिनांक 09.06.90 को प्रतिवादी अर्जुन,लड्डू का वाद–पत्र खारिज कर दिया। इस आराजी की निस्बत त खातेदारी की उद्घोषणा कराने उक्त न्यायालय में दावा दायर करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की पुनः नकलें लेने की कार्यवाही कर रहे थे कि प्रार्थीगण की नीयत में उक्त फैसले के कारण बेईमानी आ गई और उनका यह दावा करने व दरख्वास्त देने का विचार बन गया, अन्यथा इस आराजी से वादीगण को कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण का अपने पूर्वजों के जमाने से ही इस आराजी पर कोई कब्जा नही है तो दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्या नही है। क्यों कि सम्वत् 2034 में खसरा गिरदावरी में जोता के नाम इन्द्राज होना बंद हो गया है, इसलिए वादीगण ने चालू खसरा गिरदावरी की नकलें तो पेश कर दी है, लेकिन उन्होंने जिन वर्षो में जोता का नाम गिरदावरी हो रही है,नकले पेश नही की है, जिससे वादीगण का केस अपने आप में असत्य प्रतीत होता है। वादीगण इस वर्ष ही प्रथम बार अर्जुन,लडडू द्वारा इस आराजी की बुवाई करते समय झगडा करना शुरू किया इसलिए शेष प्रतिवादीगण को अर्जुन ,लडडू की सहायता करनी पडी,तभी वे इस आराजी में ज्वार की बुवाई कर सके, अन्यथा प्रार्थीगण इस आराजी पर जबरन कब्जा कर लेते। प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी अर्जुन,लडडू को तरह–तरह से परेशान करने लग गया है। महकमा बन्दोबस्त में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र खारिज हो जाने से वादीगण के हौसले और भी बढ गए है। वाकई में वादीगण इस आराजी पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। अतः प्रतिवादीगण लडडू अर्जुन को यह अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी की निस्बत अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करावें तथा वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि वे प्रतिवादी अर्जुन,लडडू के इस आराजी के कब्जे –काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा नही डाले। वाद हेतु सर्वप्रथम दिनांक 18.06.1990 को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय व उसके पश्चात् अन्तिम बार वादीगण द्वारा यह दावा किए जाने के दिन दिनांक 21.6.90 को उत्पन्न हुआ। अतः काउण्टर–क्लेम प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) उद्घोषणा इस अमर की जावे कि प्रतिवादी लडडू तथा अर्जुन विवादित भूखण्ड खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा के खातेदार काश्तकार है कि जिसमें वादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं ।

(ख) उद्घोषणा की जावे कि प्रतिवादी लडडू,अर्जुन उक्त आराजी को अपनी खातेदारी में लगवाने के अधिकारी है तथा तदनुसार यह आराजी प्रतिवादी लडडू,अर्जुन की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावें।

(ग) वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिवादी लडडू,अर्जुन,लडडू के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की बाधा न डाले।

(घ) अन्य परितोष जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 209 के अनुसार प्रतिवादी अर्जुन ,लडडू को दिलाया जाना न्याय की दृष्टि में लाभप्रद हो, प्रदान किया जावे।

वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के काउण्टर –क्लेम का कोई जवाबुल जवाब पेश नही करने पर वादीगण की ओर से जवाबुल जवाब पेश करने का अवसर दिनांक 21.5.2002 को समाप्त किया गया।

वाद–पत्र जवाब वाद–पत्र मय काउण्टर–क्लेम के आधार पर निर्णायक बिन्दु पर पहुँचने हेतु दिनांक 21.5.2002 को निम्नांकित तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण आराजी खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फूसौदा के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है ? (वादीगण)
2. आया वादीगण के आराजी खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फूसौदा पर उनके कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है? (वादीगण)
3. आया प्रतिवादी लडडू व अर्जुन उक्त विवादित आराजियात् खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम फूसौदा के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है? (प्रतिवादीगण)
4. आया विवादित आराजियात पर प्रतिवादीगण लडडू व अर्जुन के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की बाधा नही डालने के लिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ? (प्रतिवादीगण)
5. अनुतोष?

साक्ष्य वादी में वादीगण ने पी0डब्लू0–1 जगदीश पुत्र गोपी मीना पी0डब्लू0 2 फूलचन्द पुत्र जग्गा मीना निवासीयान खिलचीपुर के शपथ पत्र बयान लिये गये। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–13 व सम्वत् 2031–32 ग्राम फूसोदा तह0 व जिला सवाई माधोपुर तथा प्रमाणित नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2004 से 2023 जो प्रर्दश –2 करवाये । प्रतिवादीगण अपने काउन्टर क्लेम के पक्ष में **डी0डब्लू0–1 अर्जुन डी0डब्लू0–2 अमर लाल जाट के शपथ पत्र बयान** पेश किये व प्रदर्श ए–1 नकल चकबन्दी रजिस्टर सम्वत 1992–2001 , प्रदर्श ए–2 नकल फर्द मिलान व प्रदर्श ए–3 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–32 प्रदर्शित करवाए। प्रतिवादी द्वारा पुनः साक्ष्य में दिनांक 4.1.2013 को दो शपथ पत्र अर्जुन व मोती के पेश हुये जिसमे से दिनांक 20.3.13 को अर्जुन के बयान लिये गये । वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई दोराने बहस वकील वादी ने अपने दावे में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वकील प्रतिवादी ने अपने कावन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलोकन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जा रहा हैः–

Varsha

आया वादीगण आराजी खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फूसौदा के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है ?

तनकी नं0 1 को सिद्वि करने का भार वादीगण है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–2 खतोनी बंदोबस्त सम्वत् 2004 से 2023 में वादगस्त आराजियात सालगा वल्द ग्यारसा कौम मीना साकिन खिलचीपुर के नाम अंकित है। दावे के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या 41 खसरा नम्बर 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा गो,जग्गा पिसरान सालगा मीना के नाम दर्ज है और सेटलमेंट के नामान्तरकरण सं0 15 दिनाक 08.08.1989 के अनुसार वादीगण के नाम इन्द्राज दिनांक 23.5.90 को स्वीकार हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत करने के समय वा।देगण की खातेदारी सिद्व होती हैं दावा प्रस्तुत करते समय वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से खातेदार है,इसलिए वादीगण को पुनः उक्त आराजी का खातेदार घोषित करने की आवश्यकता नही है।

तनकी नं0 2 आया वादीगण के आराजी खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फूसौदा पर उनके कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है?

तनकी संख्या 2 को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। चूंकि तनकी नं0 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष निर्णित हुई है। इस तनकी के समर्थन में वादीगण ने खसरा गिरदावरी सम्वत् 2041–44 व सम्वत् 2045 को प्रस्तुत किया जिसमें गोपी जग्गा पिसरान सालगा दर्ज है। रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इस प्रकार तनकी नं0 2 का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं0 3 आया प्रतिवादी लडडू व अर्जुन उक्त विवादित आराजियात् खसरा नं0 1163 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम फूसौदा के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है?

तनकी सं0 3 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रदर्श ए–1 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1147 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा रामचन्द्र वल्द गंगाराम निस्फ व पीरया मांग्या पिसरान हरबक्श कौम जाट साकिनदेह ब0हि0 बराबर अंकित है। प्रतिवादिगण के अनुसार खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–19 व 2031–34 में प्रहलाद और उसकी मृत्यु के पश्चात अर्जुन का नाम दर्ज है। प्रदर्श ए–3 का अवलोकन किया जिसमें गिरदावरी सम्वत् 2012–19 व 2031–32 में प्रहलाद और उसकी मृत्यु के पश्चात अर्जुन का नाम जोता के रूप में दर्ज होना सही है। उपरोक्त दस्तावेज में खातेदार के रूप में सालगा वल्द ग्यारस्या मीना साकिन खिलचीपुर का नाम दर्ज है जो की वादीगण के पूर्वज है। गिरदावरी सम्वत् 2033–34 प्रतिवादिगण ने पेश नहीं की है। प्रदर्श–2 खतोनी बंदोबस्त सम्वत् 2004 से 2023 में वादग्रस्त आराजियात सालगा वल्द ग्यारसा कौम मीना साकिन खीलचीपुर के नाम अंकित है। अतः उस समय से ही विवादित भूमि निरंतर वादीगण व उनके पूर्वजों के खाते में रही है। बीस साला में गलत इन्द्राज हुआ हो इसका कोई ठोस साक्ष्य व सबूत प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत नही किया है। स्वयं प्रतिवादीगण अर्जुन के साक्ष्य में विरोधाभास है। जिरह में कहा के गलत इन्द्राज की जानकारी उन्हें वादीगण द्वारा यह दावा पेश करने के पश्चात नकल लेते समय हुई। लेकिन अपने जवाब दावे में प्रतिवादीगण ने कहा है कि इन्द्राज दुरूस्ती के लिए लडडू अर्जुन ने प्रार्थना पत्र महकमा बंदोबस्त में पेश कर दिया। प्रतिवादीगण के गवाह डी0डब्लू0 – 2 अमरलाल जाट ने कहा कि जमीन लडडू मोती वगै0 के खातेदारी में है यह साक्ष्य दस्तावेजों से व खुद प्रतिवादीगण के कथन से विपरीत है। साथ ही प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावें में जो सजरा प्रस्तुत किया है उसकी पुष्टि के लिए भी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया

है। अतः प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रदर्श ए–1 में अंकित व्यक्तियों के उत्त्राधिकारी है यह सिद्व नहीं हुआ है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादी लडडू व अर्जुन का विवादित आराजियात पर खातेदारी अधिकार सिंद्व नहीं होता है। इस इस प्रकार तनकी सं0 3 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं0 –4 आया विवादित आराजियात पर प्रतिवादीगण लडडू व अर्जुन के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की बाधा नही डालेनके लिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है

तनकी सं0 4 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। चूंकि तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित हुई है। प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार सिद्व नहीं हुए है इसलिये वे वादीगण को विवादित आराजियात के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम फूसौदा तह0 व जिला सवाई माधोपुर में स्थित वादग्रस्त कृर्षि भूमि पुराने खाता संख्या 41 के ख0नं0 1163 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत न करें । तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम ठोस साक्ष्य व सबूतो के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(वर्षा मीना)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर